

10/10/23 / 114/18

114/18

दिनांक आज्ञा पत्र

7.8.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपरि...
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...
को पेश हो।

10/10/23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपरि...
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...
को पेश हो।

7.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपरि...
पीठासीन अधिकारी महोदय आज...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक...
को पेश हो।

28/12/23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज
व्यवधिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
दिनांक 29/4/24 को पेश हो

29.5.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली
छे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक
को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि
स्वयम् है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

7.5.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभार हेकर
से कम हेकर बाद तृतीय तकमील दाखिल दफतर हो।

लहरीर जारी
3258
26-4-2024

Amul



प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प बुन्दान)